[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 29 February, 2012

S.O. 353 (E).– The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or at e-mail address: esz-mef@nic.in.

Draft Notification (Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone)

WHEREAS, The total area of 326.26 square kilometer around Marine National Park and Marine Sanctuary has been identified as eco-sensitive zone, of which 208.58 square kilometer is the area towards landward side, 105.14 square kilometer towards sea and 12.53 square kilometer is the area covered by rivers. The Marine Sanctuary covers an area of 457.92 square kilometer and an area of 162.89 square kilometer as Marine National Park was notified in 1982. The entire southern coast of the Gulf in jamnagar district is ringed by a cluster of 42 islands and many of them are fringed by coral reefs and bear mangrove vegetation;

AND WHEREAS, The high density and diversity in the Gulf of Kutch is due to the availability of different types of habitats like sandy, muddy, rocky calcareous sea bed and coral beds and mangroves in the relatively sheltered waters of the Gulf. The Gulf is defined as "portion of sea partially enclosed by sweep of coast and usually narrower at mouth than bay." Gulf of Kutch is located in bio-geographical zone "The coasts of Indo-Malayan Realm" and can be considered as International Union for Conservation of Nature Protected Area Category-I;

AND WHEREAS, The flora of Marine National Park mainly consists of mangroves and array of marine algae, including some commercially important species of *Agarophytes* and *Alginophytes*. The whole coastline of the Gulf is fringed with luxuriant growth of *Avicennia, Rhizophora* and *Ceriops spp*. of mangroves. *Salvadora, Zizhypus* and *Prosopis spp*. are some of the terrestrial species found in the area;

AND WHEREAS, The Sanctuary has more than 70 Sponge species, 37 species of hard and 24 species of soft corals, 150-200 species of fishes, 27 species of Prawns, 30 species of Crabs, 200 species of Molluscs, 3 species of Sea turtles, 3 species

Sea snakes, 3 species of Sea mammals, 94 species of Aquatic birds and 78 species of Terrestrial birds;

AND WHEREAS, many developmental activities including industrial, ports, infrastructural and fishing etc have been going on in the areas adjoining the Marine National Park and Marine Sanctuary and thus causing adverse environmental impacts on the Marine National Park and Marine Sanctuary, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Marine National Park and Marine Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view, to protect, propagate or develop Wild life therein or its environment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area, the situation and limits of which are specified in this notification as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone).

2. Boundaries of Eco-sensitive Zone

- (a) The Marine National Park and Marine Sanctuary are located in the Gulf of Kutch in Jamnagar District of Gujarat, between 22°15' N to 23°0' latitudes and 69° E to 70°35' E longitudes. Boundary description of Eco-sensitive zone of Marine National Park and Sanctuary is at *Annexure-A*. The map of the Eco-sensitive Zone is at *Annexure-B*. List of villages falling within Marine National Park and Marine Sanctuary eco-sensitive zone are appended at Annexure-C
- (b) All activities in the Forest Block Areas (both within and outside Municipal Areas) shall be governed by the provisions of the Forests (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and all the activities in the Protected Areas (Sanctuary) shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

3. The following activities are to be regulated in the Eco-sensitive Zone, namely:-

- (1) Management Plan for the Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone:
- (i) The Management plan shall be prepared by the State Government of Gujarat as per the State Town and Country Planning Act within a period of one year from the date of issue of the final notification. The Management plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments of Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal, Revenue and the Gujarat State pollution Control Board with a view to include therein various aspects of the environment and ecology.
- (ii) The management Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment the need attention.
- (iii) The management plan should ensure that no restrictions are imposed on the existing legal land use pattern, as well as the legal infrastructure and activities and same would continue as before. However, the management

plan would also factor in improvement of all infrastructure/ activities to be more efficient and eco-friendly.

- (iv) The management plan shall demarcate all the existing revenue, revenue expansion areas, forests, green areas, horticultural areas, agricultural areas, orchards, natural springs, natural heritage sites and other environmentally and ecologically sensitive areas. No change of land use from green uses such as orchards, horticultural areas, agriculture, parks and other like places to non-green uses shall be permitted in the Management Plan.
- (v) There shall be no reduction in Forest Zone, Green Zones and Agricultural Area, Mangrove Area and natural marine and other aquatic ecosystems.
- (vi) The Monitoring Committee oversee the proper execution of the Management Plan by all Departments and stakeholders as well. This Committee would also look into the grievances of people and find amicable solution of such grievances.
- (vii) Adequate publicity shall be given to the provisions of the Management Plan.
- (viii) Till the time the Eco-Sensitive Zone is finally notified, management plan prepared, approved by the Ministry and the Monitoring Committee is functional so as to ensure administration of the Eco-Sensitive Zone, all non-forestry developmental activities within the proposed boundary of the eco-sensitive zone shall be referred to the Standing Committee of National Board of Wild Life (NBWL).

(2) Prohibited, regulated and permitted activities in the Eco-sensitive Zone.-

The following activities are prohibited, regulated and/or permitted as per the tabular column given below.

S.No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	remarks
1.	Commercial Mining	Yes	-	-	Regulation will not prohibit the digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.
2.	Felling of trees	-	Yes	-	With permission from appropriate authority.
3.	Setting of saw mills	Yes	-	-	
4.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc)	Yes	-	-	
5.	Establishment of hotels and resorts	-	Yes	-	As per approved master plan, which

					takes care of habitats allowing no restriction on movement of wild animals.
6.	Commercial use of firewood	Yes	-	-	For hotels and other business related establishment.
7.	Drastic change of agriculture systems	-	Yes	-	
8.	Commercial use of natural water resources including ground water harvesting	-	Yes	-	As per approved master plan, which takes care of habitats allowing no restriction on movement of wild animals.
9.	Establishment of major hydroelectric projects	Yes	-	-	
10.	Erection of electrical cables	-	Yes	-	Promote underground cabling.
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with aquaculture and fisheries	-	-	Yes	However, excessive expansion of some of these activities and excessive exploitation of the marine resources should be regulated as per the master plan.
12.	Rain Water harvesting	-	-	Yes	Should be actively promoted
13.	Fencing of premises of hotels and lodges	-	Yes	-	
14.	Organic farming	-	-	Yes	Should be actively promoted.
15.	Use of polythene bags by shopkeepers	-	Yes	-	
16.	Use of renewable energy sources	-	-	Yes	Should be actively promoted.
17.	Widening of roads	-	Yes	-	This should be done with proper EIA and mitigation measures.
18.	Movement of	-	Yes	-	For commercial

	vehicular traffic at night				purpose
19.	Introduction of exotic species		Yes	-	
20.	Use of production of any hazardous substances	Yes	-	-	
21.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by any aircraft, hot-air balloons and activities related to coastal tourism	Yes		-	
22.	Protection of hill slopes and river banks and coastal areas	-	Yes	-	As per the master plan
23.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or terrestrial area	Yes	-	-	
24.	Air and vehicular pollution	-	Yes	-	
25.	Sign boards and hoardings	-	Yes	-	As per the master plan
26.	Adoption of green technology for all activities	-	-	Yes	Should be actively promoted.

*This list is not exhaustive any other activities that are inimical to wildlife conservation will be regulated in accordance with the "The guidelines for taking non forestry activities in Wild life habitats" issued vide F.No. 6-10/2011 WL dated the 15th March 2011 by the Ministry of Environment and Forests (Wildlife Division), New Delhi.

- (1) Industrial Units: No new polluting industries shall be allowed in the ecosensitive zone. Already existing industries such as salt manufacturing units, ship breaking and building units, shipping yards, etc shall not be allowed to discharge effluents, slurry, etc into the water and shall take adequate measures to prevent any leakage of brine water or harmful chemicals into the water. In case of refineries, the raw material (Crude oil) and finished product carrying vessels shall not pollute the Eco-sensitive area. No washing release of ballast water or any hydro carbon material in the eco-sensitive zone shall be permitted.
- (2) In the non municipal areas, the following shall also be permitted: Structures connected with small agro-based industries, activities related to the

needs of the local village economy and processing or storage of local agrobased products may be allowed subject to the permission to be obtained from the revenue authorities for alienation of land for non-agricultural purposes.

- (3) Quarrying and Mining: All quarrying and mining activities shall be banned in the Eco-Sensitive Zone and no fresh mining leases shall be granted. As per the order of Supreme Court dated 4th August 2006 in W.P. (C) No. 202/95, mining activities within 1 km of the National Parks and Wildlife Sanctuaries are prohibited. Collection of shells or any other marine resources in the ecosensitive zone shall be completely prohibited.
- (4) Vehicular traffic: Strict norms shall be followed in regulating the movement of vehicles in and around the eco-sensitive zone. Preventive measures shall be taken during transportation of goods, etc in order to prevent spraying dust particles on mangroves and other flora and fauna. At jetties, GMB and concerned companies have to take measures to contain the dust particles from their godowns/ consignments. Preventive measures shall also be taken to prevent leakages of fuel from the vehicles and to prevent oil spills in and around the eco-sensitive zone.
- (5) **Trees:** There shall be no felling of trees either on forest, Government, revenue or private land without the prior permission of the State Government in case of forest land, and respective district Collector in case of Government, revenue and private land, granted in such manner as may be laid down by the State Government.
- (6) **Tourism:** Tourism activities shall be allowed in accordance with the Tourism master plan with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development, to be prepared by the Department of Tourism of the State Government in consolation with the Ministry of Environment and Forests which shall also from a part of the Zonal Master Plan.
- (7) **Use of plastics:** The use of plastics, laminates and tetra-packs within the eco-sensitive zone shall be regulated as per the activities mentioned in this notification.
- (8) Forest Areas under the control of Revenue Department: Any non-forestry activities will be regulated in accordance with the "Guidelines for taking non forestry activities in Wild life Habitats" issued vide F.No. 6-10/2011WL dated 15-03-2011 by the Ministry of Environment and Forests (WL Division), New Delhi.
- (9) **Discharge of Effluents:**
 - (a) The discharge of any untreated effluent is prohibited in the Eco-Sensitive Zone
 - (b) No effluent, either treated or untreated shall be permitted to be discharged into any water body or water source within the eco-sensitive zone.
 - (c) Effluents from all existing industrial or residential areas shall be treated and recycled properly and if possible the treated water may be reused for various purposes.

(10) **Solid Wastes:**

- (a) The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.
- (b) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of at environmentally acceptable locations.
- (c) No burning or incineration of solid wastes shall be permitted.

(11) Streams and Natural Springs:

(a) The catchment area of all natural springs and streams shall be identified and their conservation plans along with rejuvenation plans of

those that have run dry in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(b) Strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas.

4. Monitoring Committee. –

- (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance of the provisions of this notification. The Chairman of the Monitoring Committee shall be a biodiversity and wildlife expert and an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of the local problems.
- (2) The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1), shall consist of the following members, namely:-
 - (a) a representative of the Department of Environment, Government of Gujarat Member;
 - (b) a representative of the Department of Urban Development, Government of Gujarat – Member;
 - (c) a representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Gujarat State Forest Department – Member;
 - (d) the Regional Officer, Gujarat State Pollution Control Board, Gandhi Nagar– Member;
 - (e) one expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Gujarat _ Member.
 - (f) the Deputy Commissioner or his representative, Jamnagar Member
 - (g) the Deputy Conservator of Forests, Marine National Park and Marine Sanctuary– Member Secretary.
- (3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification.
- (4) In case of activities requiring prior permission, under the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533, dated the 14th September, 2006 as amended from time to time, the Monitoring Committee shall refer such matters to the Ministry of Environment and Forests which shall grant the clearances in accordance with the provisions of the said notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Chairman or the Member Secretary of the Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities by the 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions, from time to time, to the Monitoring Committee for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 25/2/2012-ESZ/RE]

Dr. G. V. Subrahmanyam, Scientist 'G'

ANNEXURE-A

Boundary description of Eco-sensitive zone of Marine National Park and Sanctuary

North :- Coastal boundary of village Adatra, village boundary of Adatra, Coastal boundary of village Padli, Coastal boundary of village Hamusar, Coastal boundary of village Shamlasar, Coastal boundary of village Poshitra, village boundary of Poshitra, Coastal boundary of village Khatumba, boundary of village Khatumba, boundary of village Aniary of Dwarka Taluka of Jamnagar District, Tata salt, Coastal boundary of village Pindhara, Coastal boundary of village Mevasa & village boundary of Virpur, Coastal boundary of village Virpur, Coastal boundary of village Mota Ashota of Kalyanpur Taluka of Jamnagar District, Coastal boundary of village Nana Ashota, Coastal boundary of village Zakasiya, Coastal boundary of village Beh, Coastal boundary of Vachalabara area, Coastal boundary of village Kalawad simani, Coastal boundary of village Chudeshwar, Coastal boundary of village Goinj of Khambhaliya Taluka of Jamnagar District, Boundary of village Balachadi towards village Khiri, Coastal boundary of village Balachadi, Coastal boundary of village Hadiyana, Coastal boundary of village Kunnad, Coastal boundary of village Jodiya, Coastal boundary of village Ranjitpar, Coastal boundary of village Jamsar, Coastal boundary of village Manamora, Coastal boundary of village Kothariya, Coastal boundary of village Rampar Padabekar, Coastal boundary of village Bela and village Untbet sampar, boundary of village Zinzuda towards Fadsar and coastal boundary of village Zinzuda of Jodiya Taluka of Jamnagar District

East :- Village boundary of Bodki of Maliya Taluka of Rajkot District, Coastal boundary of village Goinj and village boundary of Salaya of Khambhaliya Taluka of Jamnagar District.

South :- Boundary of village Arambhada towards Adatra village, boundary of village Padli towards Arambhada village, 1 Km. distance from coastal boundary of village Padli and Survey nos. 13, 10, 16, 17, 3pt, 23pt, 28 of village Padli, 1 Km. distance from Revenue boundary of village Hamusar and Survey nos. 16, 15, 14, 140, 44, 162, 163, 58, 59, 66, road of village Hamusar, 1 Km distance from coastal boundary of village Samlasar & Survey nos. 222, 221, 220, 110, 114, 113, 94, 95, 101, 100, 168, 170, 211, 212, 210, 209, 208, 233, 234, 239, 238, 260, 250, 251, 225, 288pt of village Samlasar, 1 Km. distance from coastal Boundary of village Poshitra & Survey nos. 1pt, 412, 419, 420, 430, 431, 482, 479, 478, 498, 501, 517, 516, 6, 7, 14, 36, 62, 63, 64, 65, 60, 52, 53, 40, 47, 453, 451, 447, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 152, 154, 167, 164, 237, 235, 243, 242, 222, 216, 215, 214, 213, 212, 250,

249, 254, 251, 252, 280, 282, 283, 284, 285, 324, 323, 321, 320, 319, 336, 337, 338, 301, 302, 303 of village Poshitra, Boundary of village Poshitra towads village Mulvel and Survey no. 210 of village Mulvel, 1 Km. distance of coastal boundary of village Khatumba and Survey nos. 39/1, 38, 45, 46, 54, 53, 62, 56, 57, 58, 59pt of village Khatumba, Boundary of village Tupani of village Aniary, Boundary of village Gurgadh of village Tupani and Survey no. 241pt of Dwarka Taluka of Jamnagar District, 1 Km of distance from coastal boundary of village Gurgadh & Survey nos. 61pt, 20, 404pt, 70, 28/2, 27, 25, 511, 436, 477, 478, 442, 445, 449, 450, 456, 457, 470, 471, 472, 473, 478, 479, 521, 520, 427, 402, 528, 421, 385, 533, 370, 364, 365, 366 of village Gurgadh, 1 Km. distance from coastal boundary of village Pindhara and Survey nos. 111, 112, 198, 90, 89, 82, 81, 80, 399, 420, 394, 71, 424, 68, 41, 40, 44, 422, 45, 46, 48, 49, 24, 336, 405, 339, 43, 4/1, 336pt, 433, 371, 317, 316, Rasto of village Pindhara, 1 Km. distance from coastal boundary of village Mevasa and Survey nos. 330pt, 267, 266, 268/2, 270, 274, 424, of village Mevasa, 1 Km. distance from coastal boundary of village Virpur and Survey nos. 118/2, 155, 119, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110pt, 59, 183, 56, 53 of village Virpur, 1 Km. distance from coastal boundary of village Mota Ashota and Survey nos. 550, 215, 171, 172, 238pt, 167, 168, 181, 128, 129, 125, 124, 123, 192, 194, 201, 202, 200, 285, 286, 521, 520, 75, 76, 71, 72, 69, 66, 55, 538, 45, 47 of village Mota Ashota of Kalyanpur Taluka of Jamnagar District, 1 Km. distance from coastal boundary and Survey nos. 99, 101, 95, 92, 91, 128 pt, 66, 62/1, 68, 15, 16, 18, 22, 27, 27/2, 28, 50, 48, 47 of village Nana Ashota, 1 Km. distance from coastal boundary of village Zakasiya and Survey nos. 101, 412, 406, 407, 74, 77, 73, 409, 72, River of village Zakasiya, 1 Km distance from coastal boundary of village Beh and Survey nos. 91, 89, 82, 81, 83, 73, 72, 67, 56, 58, 49, 50, 30, 27, 22, 20, 19,18, 16, 15, 9, 456, 455, 439, 431, 428, River of village Beh, 1 Km distance from coastal boundary of village Vachlabara and Survey nos. 859, 858, 857, 883, 844, 885, 804, 803, 810, 815, 814, 817, 822, 797, 739, 717, 711, 710, 712, 709, 572, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 581, 599, 598, 597, 596, 593, 530, 532, 534, 535, 536, 538, 539, 511, 508, 509, 519, 520, 516, 515, 527, 594, 603, 604, 616, 617, 619, 642, 380, 379, 367, 364, 348, 347, 345, 363, 263, 264, 259, Travers no. of village Vachlabara, 1 Km distance from coastal boundary of village Kalavad simani and Survey nos. 179pt, 3, 7, 8, 161, 160, 158, 152, 149, 128, 132, 124, 125, 121, 91, 93, 182 of village Kalavad simani, 1 Km distance from coastal boundary of village Chudeshwar and Survey nos. 249, 251, 252, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 265, 266, 320, 325, 237, 129, 102, 72, 71, 70, 75, 76, 87, 86 of village Chudeshwar, 1 Km distance from coastal boundary of village Goinj and Survey nos. 267, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 304, 303, 302, 301, 299, 225, 211, 212, 197, 196, 185, 123, 179, Rasto of village Goinj of Khambhaliya Taluka of Jamnagar District, Boundary of village Sachana towards Khiri village, 1 Km. distance from

coastal boundary of village Balachadi and Survey nos. 8, 86, 99, 116, 76, 118, 5, 140, 139, 138, 19, 20, 21, 119, 24, 25, 59, 58, 56 of village Balachadi, 1 Km. distance from coastal boundary of village Hadiyana and Survey nos. 629pt, 628pt, 653pt of village Hadiyana, 1 Km. distance from coastal boundary of village Kunnad and Survey nos. 315 pt, 326, 329, 330, 332, 333, 334, Rasto of village Kunnad, 1 Km. distance from coastal boundary of village Jodiya and Survey nos. 411, 393, 391pt, 390, 388, River, 339, 349, 325, 328, 310, 305, 302, 299pt, 298pt of village Jodiya, 1 Km. distance from coastal boundary of village Ranjitpar and Survey no. 410pt of village Ranjitpar, 1 Km. distance from coastal boundary of village Jamsar and Survey nos. 119pt, 121, 70, 71, 72, 74, 73, 94, 97, 98, 103, 102 of village Jamsar, 1 Km. distance from coastal boundary of village Manamora and Survey nos. 299, 301, 302, 303, 304, 273, 274, 272, 271, 252, 367pt, 242, 190, 368, 79, 63, 139, 62, 159, 158, 154, 156, 142, 141, 130 of village Manomora, 1 Km. distance from coastal boundary of village Kothari and Survey nos. 160, 146, 144, 133, 132, 117, 116, 119, 108, 107, 66, 67, 69, 74 of village Kothari, 1 Km. distance from coastal boundary of village Rampar padabekar and Survey nos. 306, 305, 310, 297, 312, 313, 316, 119, 120, 121, 130, 131, 136, 133, 134, 163, 172, 171, 170, 169, 179, 183, 185, 184 of village Rampar padabekar, 1 Km. distance from coastal boundary of village Bela and Survey nos. 192, 191, 175, 157, 291, 312, 293 of village Bela, 1 Km. distance from coastal boundary of village Untbet sampar and Survey nos. 232pt, 208, 175, 170, 151, 150, 146, 143, 140 of village Untbet sampar, 1 Km. distance from coastal boundary of village Fadsar and Survey no. 401/1pt, 1 Km. distance from coastal boundary of village Zinzuda and Survey nos. 129/1, 3, 83, 37, 9, 39, 30, 78, 75, 70 of village Zinzuda of Jodiya Taluka of Jamnagar District.

West :- Coastal boundary of village Khiri and Balachadi of Jodiya Taluka of Jamnagar District and village boundary of Adatra and Arambhada of Dwarka Taluka of Jamnagar District.

Boundary description of rivers falling in Eco-sensitive zone of Marine National Park and Sanctuary:

North :- Coastal boundary of village Zinzuda and Untbet sampar of Zinzuda river, Coastal boundary of village Ranjitpar, Jamsar and Manamora of Aji river, Coastal boundary of village Jodiya and Kunnad of Und river, Coastal boundary of village Hadiyana of Kankavati river, Coastal boundary of village Sachana and Khiri of Sachana river of Jodiya Taluka of Jamnagar District, Coastal boundary of village Jambuda of Jambuda river, Coastal boundary of village Dhunvav river, Coastal boundary of village Navanagna and Junanagna of Nagna river, Coastal boundary of village Sarmat of Sarmat river, Coastal boundary of

village Bed of Sasoi river, Coastal boundary of village Nanikhavadi of Khavadi river, Coastal boundary of village Gagwa of Gagwa river of Jamnagar Taluka of Jamnagar District, Coastal boundary of village Jogvad of Jogvad river, Coastal boundary of village Zhakhar of Zhakhar river of Lalpur Taluka of Jamnagar District, Coastal boundary of village Bharana of Bharana river, Coastal boundary of village Mandha of Mandha river, Coastal boundary of village Mota mandha of Sinhan river, Coastal boundary of village Goinj of Goinj river, Coastal boundary of village Vachalabar of Bara river, Coastal boundary of village Beh of Beh river, Coastal boundary of village Beh and Zakasiya of Zakasiya river, Coastal boundary of village Mota ashota river of Khambhaliya Taluka of Jamnagar District, Coastal boundary of village Mota ashota of Mota ashota river, Coastal boundary of village Pindhara of Rani river of Kalyanpur Taluka of Jamnagar District, Coastal boundary of village Shamlasar of Shamlasar river of Dwarka Taluka of Jamnagar District.

East :- Village boundary of Zinzuda and Fadsar of Zinzuda river, Village boundary of Manamora, Jamsar, Ranjitpar of Aji river, Village boundary of Jodiya of Und river, Village boundary of Hadiyana of Kankavati river, Village boundary of Khiri of Sachana river of Jodiya Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Jambuda of Jambuda river, Village boundary of Dhunvav of Dhunvav river, Village boundary of Navanagna and Vibhapar of Nagna river, Village boundary of Kharaberaja and Gordhanpar of Sarmat river, Village boundary of Sarmat and Vasai of Sasoi river, Village boundary of Khavdi of Khavdi river, Village boundary of Gagwa of Gagwa river of Jamnagar Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Jogvad of Jogvad river, Village boundary of Zhankhar of Zhankhar river of Lalpur Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Bharana of Bharana river, Village boundary of Mota mandha and Timbadi of Mandha river, Village boundary of Nana mandha of Sinhan river, Village boundary of Kothavisotri, Kabarvisotri, Sodasala of Ghi river, Village boundary of Goin of Goinj river, Village boundary of Vachlabara of Bara river, Village boundary of Vachlabara of Beh river, Village boundary of Beh of Zakasiya river, Village boundary of Nana ashota river of Khambhaliya Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Nana ashota of Mota ashota river, Village boundary of Mevasa of Rani river of Kalyanpur Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Poshitra and Shamlasar of Shamlasar river of Dwarka Taluka of Jamnagar District.

South :- Village boundary of Fadsar of Zinzuda river, Village boundary of Manamora, Jamsar and Ranjitpar of Aji river, Village boundary of Jodiya of Und river, Village boundary of Hadiyana of Kankavati river, Village boundary of Khiri of Sachana river of Jodiya Taluka

of Jamnagar District, Village boundary of Jambuda of Jambuda river, Village boundary of Dhunvav of Dhunvav river, Village boundary of Vibhapar and Nagna of Nagna river, Village boundary of Sarmat of Sarmat river, Village boundary of Bed of Sasoi river, Village boundary of Khavadi of Khavadi river, Village boundary of Gagwa of Gagwa river of Jamnagar Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Jogvad of Jogvad river, Village boundary of Zhankhar of Zhankhar river of Lalpur Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Bharana of Bharana river, Village boundary of Mandha of Mandha river, Village boundary of Mandha of Sinhan river, Village boundary of Kothavisotri and Kabarvisotri of Khiri river, Village boundary of Goinj of Goinj river, Village boundary of Vachalabara of Bara river, Village boundary of Beh of Beh river, Village boundary of Beh of Zakasiya river, Village boundary of Nana ashota of Nana ashota river of Khambhaliya of Jamnagar District, Village boundary of Mota ashota of Mota asota river, Village boundary of Mevasa and Pindhara of Rani river of Kalyanpur Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Shamlasar river of Shamlasar river of Dwarka Taluka of Jamnagar District.

West :- Village boundary of Untbet sampar and Zinjuda of Zinjuda river, Village boundary of Manamora, Jamsar and Ranjitpar of Aji river, Village boundary of Kunnad of Und river, Village boundary of Hadiyana of Kankavati river, Village boundary of Khiri and Sachana of Sachana river of Jodiya Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Jambuda of Jambuda river, Village boundary of Dhunvav of Dhunvav river, Village boundary of Nagna of Nagna river, Village boundary of Sarmat of Sarmat river, Village boundary of Bed of Sasoi river, Village boundary of Khavadi of Khavadi river, Village boundary of Gagwa of Gagwa river of Jamnagar Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Jogvad of Jogvad river, Village boundary of Zhankhar of Zhankar river of Lalpur Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Bharana of Bharana river, Village boundary of Mandha of Mandha river, Village boundary of Mota mandha of Sinhan river, Village boundary of Kothavisotri and Kabarvisotri of Ghi river, Village boundary of Goinj of Goinj river, Village boundary of Vachalabara of Bara river, Village boundary of Beh of Beh river, Village boundary of Beh and Zakashiya of Zakasiya river, Village boundary of Nana asota of Nana Ashota river of Khambhaliya Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Mota ashota of Mota ashota river, Village boundary of Pindhara of Rani river of Kalyanpur Taluka of Jamnagar District, Village boundary of Shamlasar of Shamlasar river of Dwarka Taluka of Jamnagar District.

Boundary description of Eco-sensitive zone around 200mt towards the sea of Marine National Park and Sanctuary:

North :- Gulf of Kachchh towards Zanzarawadi, Gulf of Kachchh towards Ajad tapu, Gulf of Kachchh towards Ashota ni nar, Gulf of Kachchh towards Babudhoro, Gulf of Kachchh towards Barani nar, Gulf of Kachchh towards Berajani nar, Gulf of Kachchh towards Bhad, Gulf of Kachchh towards Bhaidar tapu, Gulf of Kachchh towards Bhalori, Gulf of Kachchh towards Chank tapu, Gulf of Kachchh towards Chusda, Gulf of Kachchh towards Bet sankhodwar, Gulf of Kachchh towards coral area north west Chank reef, Gulf of Kachchh towards Divdi Dhabdhaba, Gulf of Kachchh towards Coral little Bay Sikka, Gulf of Kachchh towards Coral near Mithapur, Gulf of Kachchh towards Coral near Narara reef, Gulf of Kachchh towards Coral near Okha, Gulf of Kachchh towards coral of Chandri reef, Gulf of Kachchh towards coral of west of Kalubhar, Gulf of Kachchh towards coastal area Okha, Gulf of Kachchh towards Dhani tapu, Gulf of Kachchh towards Dhoranu jungle, Gulf of Kachchh towards Didika, Mundeka tapu, Gulf of Kachchh towards Gadnhio kado tapu, Gulf of Kachchh towards Jindra tapu, Gulf of Kachchh towards Kadiyari, Gulf of Kachchh towards Kalavad ni nar, Gulf of Kachchh towards Kalubhar tapu, Gulf of Kachchh towards Kharara ni nar, Gulf of Kachchh towards Lafa marodi and Man marodi, Gulf of Kachchh towards Morzangi, Gulf of Kachchh towards Moshido, Gulf of Kachchh towards Moto kharo, Gulf of Kachchh towards Nagarnar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Narara jungle, Gulf of Kachchh towards Navinar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Noru tapu, Gulf of Kachchh towards Okhari, Gulf of Kachchh towards Pagar reef, Gulf of Kachchh towards Panero tapu, Gulf of Kachchh towards Pirotan tapu, Gulf of Kachchh towards Rai bet, Gulf of Kachchh towards Ravalpir jungle, Gulf of Kachchh towards Ribdi, Gulf of Kachchh towards Rozi bet, Gulf of Kachchh towards Rozinar jungle, Gulf of Kachchh towards Rozinar no val, Gulf of Kachchh towards Sikotari titar dhoro, Gulf of Kachchh towards Sui nu jungle, Gulf of Kachchh towards Untado, Gulf of Kachchh towards Vadinar, Gulf of Kachchh towards West side Okhari.

East :- Marine Sanctuary towards Zanzarawadi, Gulf of Kachchh towards Ajad tapu, Gulf of Kachchh towards Ashota ni nar, Gulf of Kachchh towards Babudhoro, Marine Sanctuary towards Barani nar, Marine Sanctuary towards Berajani nar, Marine National Park towards Bhad, Gulf of Kachchh towards Bhaidar tapu, Marine National Park towards Bhalori and Gulf of Kachchh, Gulf of Kachchh towards Chank tapu, Gulf of Kachchh towards Chusda, Gulf of Kachchh towards Bet sankhodwar, Marine National Park towards coral area north west Chank reef, Gulf of Kachchh towards Divdi Dhabdhaba, Gulf of Kachchh towards Coral

little Bay Sikka, Gulf of Kachchh towards Coral near Mithapur, Marine National Park towards Coral near Narara reef, Gulf of Kachchh towards Coral near Okha, Gulf of Kachchh towards coral of Chandri reef, Marine National Park of coral towards west of Kalubhar, Gulf of Kachchh towards coastal area Okha, Gulf of Kachchh towards Dhani tapu, Gulf of Kachchh towards Dhoranu jungle, Gulf of Kachchh towards Didika, Mundeka tapu, Gulf of Kachchh towards Gadnhio kado tapu, Marine National Park towards Jindra tapu, Gulf of Kachchh towards Kadiyari, Marine Sanctuary towards Kalavad ni nar, Gulf of Kachchh towards Kalubhar tapu, Gulf of Kachchh towards Kharara ni nar, Gulf of Kachchh towards Lafa marodi and Man marodi, Marine National Park towards Morzangi, Gulf of Kachchh towards Moshido, Gulf of Kachchh towards Moto kharo, Gulf of Kachchh towards Nagarnar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Narara jungle, Gulf of Kachchh towards Navinar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Noru tapu, Gulf of Kachchh towards Okhari, Gulf of Kachchh towards Pagar reef, Gulf of Kachchh towards Panero tapu, Gulf of Kachchh towards Pirotan tapu, Gulf of Kachchh towards Rai bet, Gulf of Kachchh towards Ravalpir jungle, Gulf of Kachchh towards Ribdi, Marine Sanctuary towards Rozi bet, Gulf of Kachchh towards Rozinar jungle, Gulf of Kachchh towards Rozinar no val, Gulf of Kachchh towards Sikotari titar dhoro, Marine Sanctuary towards Sui nu jungle, Gulf of Kachchh towards Untado, Gulf of Kachchh towards Vadinar, Gulf of Kachchh towards West side Okhari.


South :- Marine Sanctuary towards Zanzarawadi, Gulf of Kachchh towards Ajad tapu, Marine Sanctuary towards Ashota ni nar, Marine Sanctuary towards Babudhoro, Marine Sanctuary towards Barani nar, Marine Sanctuary towards Berajani nar, Marine National Park towards Bhad, Sanctuary and National Park and Gulf of Kachchh towards Bhaidar tapu, Gulf of Kachchh towards Bhalori, Gulf of Kachchh towards Chank tapu, Gulf of Kachchh towards Chusda, Gulf of Kachchh towards Bet sankhodwar, Gulf of Kachchh towards coral area north west Chank reef, Gulf of Kachchh towards Divdi Dhabdhaba, Marine National Park towards Coral little Bay Sikka, Gulf of Kachchh towards Coral near Mithapur, Marine National Park towards Coral near Narara reef, Gulf of Kachchh towards Coral near Okha, Gulf of Kachchh towards coral of Chandri reef, Marine National Park towards coral of west of Kalubhar, Gulf of Kachchh towards coastal area of Okha, Gulf of Kachchh towards Dhani tapu, Marine Sanctuary towards Dhoranu jungle, Gulf of Kachchh towards Didika, Mundeka tapu, Gulf of Kachchh towards Gandhio kado tapu, Marine National Park towards Jindra tapu, Marine Sanctuary towards Kadiyari, Marine Sanctuary towards Kalavad ni nar, Gulf of Kachchh towards Kalubhar tapu, Gulf of Kachchh towards Kharara ni nar, Gulf of Kachchh towards Lafa marodi and Man marodi, Marine National Park towards Morzangi, Marine National Park towards Moshido, Gulf of Kachchh and Marine Sanctuary towards Moto

kharo, Marine Sanctuary towards Nagarnar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Narara jungle, Marine Sanctuary towards Navinar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Noru tapu, Marine Sanctuary and National Park and Gulf of Kachchh towards Okhari, Gulf of Kachchh towards Pagar reef, Gulf of Kachchh towards Panero tapu, Marine National Park and Sanctuary towards Pirotan tapu, Marine National Park and Sanctuary towards Rai bet, Marine Sanctuary and Gulf of Kachchh towards Ravalpir jungle, Marine Sanctuary towards Rozi bet, Marine Sanctuary towards Rozinar jungle, Marine Sanctuary towards Rozinar no val, Marine Sanctuary towards Sikotari titar dhoro, Marine Sanctuary and Gulf of Kachchh towards f Sui nu jungle, Marine Sanctuary towards Untado, Marine Sanctuary o towards f Vadinar, Marine Sanctuary towards West side of Okhari.

West :- Gulf of Kachchh towards Zanzarawadi, Gulf of Kachchh towards Ajad tapu, Gulf of Kachchh and Marine Sanctuary towards Ashota ni nar, Gulf of Kachchh towards Babudhoro, Gulf of Kachchh towards Barani nar, Marine National Park towards Berajani nar, Gulf of Kachchh towards Bhad, Gulf of Kachchh towards Bhaidar tapu, Gulf of Kachchh towards Bhalori, Gulf of Kachchh towards Chank tapu, Gulf of Kachchh towards Chusda, Gulf of Kachchh towards Bet sankhodwar, Gulf of Kachchh towards coral area north west Chank reef, Gulf of Kachchh towards Divdi Dhabdhaba, Marine National Park and Sanctuary towards Coral little Bay Sikka, Gulf of Kachchh towards Coral near Mithapur, Gulf of Kachchh towards Coral near Narara reef, Gulf of Kachchh towards Coral near Okha, Gulf of Kachchh towards coral of Chandri reef, Gulf of Kachchh towards coral of west of Kalubhar, Marine Sanctuary towards coastal area of Okha, Gulf of Kachchh towards Dhani tapu, Gulf of Kachchh towards Dhoranu jungle, Gulf of Kachchh towards Didika, Mundeka tapu, Gulf of Kachchh towards Gandhio kado tapu, Marine National Park and Sanctuary towards Jindra tapu, Gulf of Kachchh towards Kadiyari, Marine National Park towards Kalavad ni nar, Gulf of Kachchh towards Kalubhar tapu, Gulf of Kachchh towards Kharara ni nar, Gulf of Kachchh towards Lafa marodi and Man marodi, Marine Sanctuary towards Morzangi, Marine National Park towards Moshido, Gulf of Kachchh towards Moto kharo, Gulf of Kachchh and Marine Sanctuary towards Nagarnar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Narara jungle, Gulf of Kachchh towards Navinar nu jungle, Gulf of Kachchh towards Noru tapu, Gulf of Kachchh towards Okhari, Gulf of Kachchh towards Pagar reef, Gulf of Kachchh towards Panero tapu, Gulf of Kachhh towards Pirotan tapu, Gulf of Kachchh towards Rai bet, Gulf of Kachchh towards Ravalpir jungle, Gulf of Kachchh towards Ribdi, Marine Sanctuary towards Rozi bet, Marine Sanctuary towards Rozinar jungle, Marine Sanctuary towards Rozinar no val, Gulf of Kachchh towards Sikotari titar dhoro, Gulf of Kachchh towards Sui

nu jungle, Gulf of Kachchh towards Untado, Gulf of Kachchh towards Vadinar, Marine Sanctuary towards West side of Okhari.

ANNEXURE-B



The Map of Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone

ANNEXURE-C

List of villages in the Marine National Park and Marine Sanctuary Eco-sensitive Zone

Sl. No.	Name of village	Name of Taluka
1	Tupani	Dwarka
2	Shamlasar	Dwarka
3	Positra	Dwarka
4	Padli	Dwarka
5	Mulvel	Dwarka
6	Khatumba	Dwarka
7	Hamusar	Dwarka
8	Arambhada(CT)	Dwarka
9	Aniari	Dwarka
10	Adatra	Dwarka
11	Virpur	Kalyanpur
12	Pindara	Kalyanpur
13	Mevasa	Kalyanpur
14	Gurgadh	Kalyanpur
15	Asota Mota	Kalyanpur
16	Zakasiya	Khambhaliya
17	Vachlabara	Khambhaliya
18	Nana Ashota	Khambhaliya
19	Kalawad Simani	Khambhaliya
20	Goinj	Khambhaliya
21	Chudeshvar	Khambhaliya
22	Beh	Khambhaliya
23	Bela	Jodiya
24	Kunad	Jodiya

25	Kothariya	Jodiya
26	Khiri	Jodiya
27	Jodiya	Jodiya
28	Jamsar	Jodiya
29	Zinzuda	Jodiya
30	Hadiyana	Jodiya
31	Untbet-Shampar	Jodiya
32	Fadsar	Jodiya
33	Ranjitpar	Jodiya
34	Rampar (Padabekad)	Jodiya
35	Balachadi	Jodiya
36	Manamora	Jodiya
37	Khijadiya	Jamnagar
38	Jambuda	Jamnagar
39	Dhunvav	Jamnagar
40	Sachana	Jamnagar
41	Vibhapar	Jamnagar
42	Gaga	Kalyanpur
43	Gurgadh	Kalyanpur

[F. No. 25/2/2012-ESZ/RE]

Dr. G. V. Subrahmanyam, Scientist 'G'

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी 2012

का.आ. 353 (अ) अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (V) और खण्ड (XIV)के साथ पठित उपधारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3)के अधीन अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रति जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती है ; साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारुप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के सम्बन्धों में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रुप से, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

या ई-मेल पताः esz-mef@nic.in पर भेज सकते हैं ।

प्रारुप अधिसूचना

(समुद्री राष्ट्रीय उद्यान व समुद्री अमयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन)

चूंकि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान व समुद्री अभयारण्य के 326.26 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की पहचान दी गई है । जिसमें से 208.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूमि की तरफ, 105.14 वर्ग किलोमीटर समुद्र की तरफ व 12.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी द्वारा घिरा हुआ है । 457.92 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र समुद्री अभयारण्य से घिरा हुआ है और 162.89 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को वर्ष 1982 में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के रुप में अधिसूचित किया गया था । जामनगर जिले के खाड़ी का दक्षिणी तट 42 द्वीप समूहों से गोलाकार रुप से घिरा हुआ है;

और चूंकि कच्छ के खाड़ी उच्च घनत्व और विविधता, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आवास जैसे रेतीला, गदला, चट्टानी समुद्र तल व मूंगा तल व नम भूमि जंगल के कारण है । ''समुद्र का वह भाग जो कि भागतः संकीर्ण तट से घिरा होता है और अपेक्षाकृत मुख की तरफ संकीर्ण व अन्दर में फैलाव होता है'', को खाड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है । कच्छ की खाड़ी परिमंडल तट इन्डो–मालायन में अवस्थित है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय संघ का प्राकृतिक सुरक्षा संरक्षण क्षेत्र श्रेणी–1 माना जा सकता है; और चूंकि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का बनस्पति मुख्यतः नम भूमि बनस्पति व विभिन्न समुद्रिक शैवाल जिसमें व्यवसायिक रुप से खास प्रजाति जैसे ऐगारोफाइटिस व एलीजीनोफाइटिस सम्मिलित हैं । सम्पूर्ण खाड़ी तट का किनारा ऐवीसिनीया, रीजोफोराए व नम भूमि बनस्पति सेरीपोस प्रजाति से भरा हुआ है । कुछ किनारीय प्रजाति जैसे कि सलवाडोरा, जीजीपस व प्रोसोपिस प्रजाति पाए जाते हैं;

और चूंकि 70 नरम प्रजाति, 37 सख्त प्रजाति व 24 नरम मूंगा प्रजाति, 150–200 मछली के प्रजाति, 27 झींगों के प्रजाति, 30 केकड़ों के प्रजाति, 200 मोलस्क के प्रजाति, 3 समुद्री कछुवों के प्रजाति और 3 समुद्री सॉप के प्रजाति, 3 समुद्री स्तनधारी के प्रजाति, 94 जलीय पक्षी के प्रजाति व 78 स्थलीय पक्षियों की प्रजाति समुद्री अभयारण्य में पाये जाते हैं;

और चूंकि अनेक विकाशसील कियाकलाप जिसमें औद्योगिक बन्दरगाह, अवसंरचना व मछली पकड़ना आदि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान व समुद्री अभयारण्य के आस—पास चल रहा है जिसका प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव समुद्री राष्ट्रीय उद्यान व समुद्री अभयारण्य पर होता है । यह आवश्यक है कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान व समुद्री अभयारण्य सुरक्षा क्षेत्र का संरक्षण व उसकी सुरक्षा की जाए क्योंकि पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टि से पर्यावरण व पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में समुन्द्री अगयारण् को वन्य जीव का संरक्षण, प्रसार या विकसित करना चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (V)और खंड (XIV)के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3)के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस क्षेत्र को अधिसूचित करती है जिसका इलाका व हालात अधीसूचना में दिया गया है के ये पारिस्थितिक संवेदनशील जोन है जिसे इसमें इसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदनशील जोन कहा गया है ।

पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की सीमाएँ

(क) समुद्री राष्ट्रीय उद्यान व समुद्री अभयारण्य गुजरात के जामनगर जिले के कच्छ की खाड़ी में स्थित है जो कि 22° 15'से 23°0' उत्तरी अक्षांश के बीच व 69° से 70° 35' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान व समुद्री अभयारण्य के उपबंध-क में वर्णित है । पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का नक्शा उपबंध –ख में वर्णित है । गॉव की सूची जो कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान व समुद्री अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में आता है उपबंध-ग में वर्णित है ।

(ख) वन ब्लाक क्षेत्र के (दोनों नगरपालिका क्षेत्र अन्दर और बाहर के) सभी कियाकलाप वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (1980 का 69) उपबंध के अन्तर्गत होगा व सभी कियाकलाप संरक्षित क्षेत्र (अभयारण्य) में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधो द्वारा शासित होंगे।

- निम्नलिखित कियाकलापों का पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में विनियमित करना अर्थात
- (1) समुद्री राष्ट्रीय उद्यान व समुद्री अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की प्रबन्धन योजना
- (i) गुजरात सरकार द्वारा प्रबन्धन योजना अंतिम अधिसूचना के जारी होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर स्टेट टाउन एवं कन्टरी प्लानिंग अधिनियम के अनुसार तैयार किया जाएगा । प्रबन्धन योजना समस्त पर्यावरण विभाग, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका राजस्व और गुजरात राज्य प्रदूषण बोर्ड की सलाह से किया जाएगा। ताकि पर्यावरण और पारिस्थितिक संवेदनशील पहलुओं को शमिल किया जाए ।
- (ii) प्रबन्ध योजना निरावृत क्षेत्रों के पुनःस्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबन्ध जल भरण प्रबन्ध, भूमिगत जल प्रबन्ध, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबन्ध किया जाएगा, जिनपर ध्यान देने की आवश्यकता है ।
- (iii) प्रबन्ध योजना को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यमान विधिक भू–उपयोग पैटर्न पर कोई निर्बधन अधिरोपित न हो तथा विधिक संनिर्माण कियाकलाप पूर्व की भांति चलता रहे, तथापि प्रबन्धन योजना भी जो पर्याप्त अनुकूल पर्यावरण होने के लिए सभी अवसंरचना क्रिया कलापों के सुधार का कारक होगा।
- (iv) प्रबन्ध योजना, सभी विद्यमान राजस्व, राजस्व विस्तार क्षेत्रों, वनों, हरित क्षेत्र , वनों, कृषि क्षेत्र, फलोद्यानों, झरनों, प्राकृतिक विरासत स्थलों और अन्य पर्यावरणीय और पारिथतिक संवेदनशील क्षेत्रों को सीमांकन करेगा । हरित उपयोग से, जैसे फलोद्यानों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, क्षेत्र, कृषि, उद्यानों और इसी प्रकार से अन्य स्थानों का गैर हरित उपयोगों के लिए भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन, प्रबंध योजना में अनुज्ञात नही किया जाएगा ।
- (v) यह वन क्षेत्र, हरित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आश्रय नम भूमि, प्राकृतिक समुद्री क्षेत्र व दूसरे कच्छ बनस्पति में कोई कमी नहीं होगी।
- (vi) यह कि मानीटरी समिति यह देखेगी कि प्रबन्धन योजना का सही तरीके से निष्पादन सारे विभाग व पण्धारकों द्वारा हो रहा हो। यह समिति जनता की शिकायत व ऐसी शिकायतों का समाधान समझौते से कराएगी ।
- (vii) यह कि प्रबन्धक योजना के उपबंधो का सही प्रचार दिया जाएगा।

- (viii) यह कि जब तक पारिस्थितिक संवेदनशील जोन अंतिम रूप में अधिसूचित नही हो जाती, प्रबन्धक योजना की तैयारी, मंत्रालय से अनुमोदन व मानीटरी समिति काम करती रहेगी ताकि पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के प्रशासन को सुनिश्चित किया जा सके। समस्त गैर–वनीय, क्षेत्र की विकास गतिविधि जो कि भावी पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में हो रही है व उसे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (एन बी डब्ल्यू एल) के पास भेजा जायेगा।
- पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में निषेध, विनियमित और अनुज्ञेय कियाकलाप

निम्नलिखित क्रियाकलाप, निषिद्ध, विनियमित और / या अनुज्ञेय नीचे दी सारणीबंध स्तंभ के अनुसार हैं ।

क्रमसं	क्रियाकलाप	निषिध	विनिय	अनुज्ञे	टिप्पणियां
0			मत	य	
1	वाणिज्यिक खनन	 हॉ			संनिर्माण के लिए पृथ्वी की खुदाई या
		·			गृहों की मरम्मत, और देशी टाइल का
				i.	विनिर्माण ईंट का मकान व्यक्तिगत खपत
					के लिए विनियम प्रतिषेध नहीं करेगा।
2	वृक्ष को गिराना		हॉ		समुचित प्राधिकरण की अनुज्ञा के साथ
3	आरा मशीन का	हॉ		1	
	लगाना				
4.	उद्योग का लगाना	हा			
	जो (पानी, हवा,			1	
	मिटटी, ध्वनि आदि				
	का) प्रदूषित करें				
5.	होटल, रिजॉर्ट की		हॉ		अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार
	स्थापना			ļ	आवास जो वन्य–जीव के आवाजाही पर
					निर्बधन न लगाने की अनुज्ञा दे।
6.	जलाने की लकड़ी	हॉ	-		होटल और स्थापन सें सम्बन्धित अन्य
	का वाणिज्यिक	; }			कारबार
	उपयोग				
7.	कृषि प्रणाली में प्रबंल	Γ	हॉ		
	परिवर्तन				
8.	भूजन संरक्षण सहित	ſ	हॉ		अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार

	प्राकृतिक जल				आवास जो वन्य-जीव के आवाजाही प
	संसाधन का				अंकुष न लगाए ।
	वाणिज्यिक उपयोग		2		
9.	मुख्य जल विद्युत	हॉ			
	परियोजनाओं की				
	स्थापना				
10.	विद्युत केबल, तार का			हॉ	भूमिगत तार का प्रोत्साहन
	उत्थापन			1	
11.	स्थानीय समुदायों			हॉ	तथापि, इन क्रियाकलापों में कुछ
	द्वारा जल उद्यान,				अत्याधिक उपयोग और समुद्री संसाध
	और मछली पालन	l		r 1	का अत्यधिक उपयोग मास्टर प्लान
	सहित जारी फल				अनुसार विनियमित होना चाहिए ।
	उद्यान, कृषि और				
	उद्यान कृषि प्रथाएं				
12.	वर्षा जल को एकत्रित			हॉ	विशेष रुप से प्रोत्साहित करना
	करना				
13.	होटलों और लॉजों के		हॉ		
	परिसरों की घेराबन्दी		1		
14.	जैविक कृषि			हॉ	विशेष रुप से प्रोत्साहित करना चाहिए
15.	दुकानदारों द्वारा		हॉ		
	प्लास्टिक थैली का	-			
	उपयोग				
16.	ऊर्जा संसाधन		हॉ		विशेष रुप से प्रोत्साहित करना चाहिए
	उपयोग का				
	नवीनीकरण				
17.	सड़कों को चौड़ा		हॉ		समुचित ई आई ए और कमी के उप
	करना				द्वारा किया जाना चाहिए ।
18.	रात्रि में वाहनों की		हॉ		वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए
	आवाजाही				
19.	विदेशी प्रजातियों का		हॉ		
	आरंभ				
20.	किसी हानिकारक	 - ਸੱ			

	पदार्थ का उपयोग				
21.	किसी हवाई जहाज	हॉ			
	का राष्ट्रीय उद्यान का				
	ऊपर उड़ना पर्यटन				
	गतिविधियों के लिए,				
	गर्म हवा के गुब्बारे व				
	तटीय पर्यटन				
	गतिविधियों से				
	सम्बन्धित				
	क्रियाकलापों जैसे				
	पर्यटन से संबंधित				
	क्रियाकलापों का			1	
	जिम्मा लेना।				
22.	पहाड़ी ढलाव, नदी		हॉ		मास्टर प्लान के अनुसार
	के किनारों और				
	तटीय क्षेत्र की सुरक्षा				
23.	प्राकृतिक जल पिंडो	हॉ			
	या स्थलीय क्षेत्र में				
	बाहिस्प्रवों और ठोस				
	अपशष्टिों का				
	निस्सरण		ł		
24.	हवा व यानीय प्रदूषण		हॉ		
25.	विज्ञापन पट और			हॉ	मास्टर प्लान के अनुसार
	होर्डिंग				
26.	सभी क्रियाकलापों के			हॉ	सक्रिय रुप से प्रोत्साहित करना चाहिए
	लिए हरित तकनीक				
	का अंगीकरण				

यह सूची संपूर्ण नहीं है, कोई अन्य क्रियाकलाप जो वन्य जीव संरक्षण के प्रतिकूल है, वह पर्यावरण व वन मंत्रालय (वन्य जीव प्रभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी "वन्य जीव आवासों में गैर वानिकी क्रियाकलापों को करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत", फाइल संo. 6-10/2011 WL तारीख 15.03.2011 के अनुसार विनियमित किए जायेगें।

- (1) औद्योगिक इकाइयाँ: किसी नई प्रदूषण औद्योगिक इकाई को पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। पहले से विद्यमान उद्योग जैसे कि नमक बनाने की इकाई, पोत निर्माण व तोड़ना इकाई, पोत प्रांगण आदि को बहिसाव निर्गमन जल, गारा को जल में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा व पर्याप्त उपाय किऐ जायें ताकि लवण या हानिकारक रसायन जल के रिसाब को जल में जाने से रोका जा सके। यदि कोई परिष्करणी, कच्चा पदार्थ (अपरिष्मृत तेल) व तैयार माल जो कि समुद्री जहाज द्वारा ले जाया जा रहा है, वह पारिस्थितिक संवेदनशील जोन प्रदूषित नहीं करेगा । किसी भी बारुदी पानी या हाइड्रोकार्बन पदार्थ को पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में निर्गत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- (2) गैर नगरपालिका क्षेत्र में निम्नलिखित भी अनुज्ञेय होगा : स्थानीय गॉव की आर्थिक आवश्यकता से संबंधित कृषि आधारित लद्यु उद्योग से संबंधित अवसंरचना और स्थानीय कृषि पर आधारित उत्पादों का प्रसंस्करण या भंडारण को गैर कृषि के प्रयोजनों के लिए भूमि के अपवर्तन के लिए राजस्व प्राधिकारियों से प्राप्त होने वाली अनुज्ञा के अध्यधीन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (3) खदान क्रिया और खनन : समस्त खदान क्रिया और खनन कियाकलाप पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में वर्जित होगें व नये खनन के लिए पटटा मंजूर नहीं किया जाएगा । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश रि.या.सी. स0 202/95 तारीख 04.08.2006 के आदेश के अनुसार कोई भी खनन कियाकलाप, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य में 1 किलोमीटर के भीतर निषिद्ध है । पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के अन्दर कोई कवच व समुद्री सामग्री को एकत्रित करना पूर्ण रूप से प्रतिषेध है ।
- (4) यानीय यातायात : पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के अन्दर और उसके आस--पास वाहन के संचलन को विनियमित करने में कड़े सन्नियमों का पालन किया जाएगा। माल के परिवहन के दौरान रोक थाम के उपाय भी किए जाने चाहिए जिससे कि कच्छ वनस्पति और अन्य वनस्पति पर धूल के कण, रोके जा सके। सम्बन्धित कम्पनियाँ भी उपाय करेगी जिससे धूल कण उनके गोदाम/माल से ना फैले। यानों से ईधन रिसाव और तेल का फैलाव पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में रोकने के लिए रोक थाम के उपाय लिए जायेगे
- (5) **वृक्ष** : कोई भी वृक्ष या तो वन में, सरकारी भूमि व प्राईवेट भूमि में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना नही काटा जाएगा, वन भूमि के मामले में, और सरकारी राजस्व और

प्राईवेट भूमि के मामले से संबंधित जिला कलेक्टर ऐसी रीति में मंजूरी देगा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकथित किया जा सके ।

- (6) पर्यटन : पर्यटन कियाकलापों को पर्यावरण और वन मंत्रालय से परामर्श करके राज्य सरकार कें पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले पर्यावरण पर्यटन, पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण पर जोर देंने के साथ पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञात किया जायेगा जो कि जोनल मास्टर प्लान का भी हिस्सा होगा।
- (7) प्लास्टिक का उपयोग : पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में प्लास्टिक, लेमिनेटस व टेट्रापैक का उपयोग इस अधिसूचना में उल्लखित निर्देश के अनुसार विनियमित होगा।
- (8) वन क्षेत्र जो कि राजस्व विभाग के नियंत्रणधीन है: कोई भी गैर वन्य कियाकलापों, पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन्यजीव प्रमाण) नई दिल्ली के फा सं 6–10/2011 WL तारीख 15–03–2011 द्वारा जारी ''वन्यजीव आवास में गैर वन्य जीव कियाकलापों किए जाने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत'' के अनुसार विनियमित किया जायेगा।
- (9) बहिस्राव का निर्वहन :
- (क) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में कोई भी अनुपचारित बहिस्राव को नही छोडा जाएगा।
- (ख) कोई भी बहिस्राव या तो उपचारित या अनुपचारित, किसी भी जलाशय व जल निकाय क्षेत्र जो कि पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के अन्दर है, में निर्गत करने की अनुज्ञा नही दी जायेगी।
- (ग) सभी विद्यामान उद्योग या आवासीय क्षेत्रों से आ रहा बहिस्राव को उपचारित किया जायेगा और उसे समुचित रूप से पुनः चकित किया जायेगा और यदि सम्भव हो तो उपचारित जल का निमित प्रयोजनों के लिए पुनः उपयोग किया जायेगा।
- (10) ठोस अपशिष्ट :
- (क) स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजना तैयार करेंगे ।
- (ख) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनः चकित किया जाएगा । अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के बाहर चिन्हित किए गये स्थल पर किया जाएगा ।
- (ग) ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- (11) जलधाराएँ व प्राकृतिक झरने :

- (क) सभी प्राकृतिक झरने व जल धाराओं के जल ग्रहण क्षेत्र को चिन्हित किया जाएगा और उनकी संरक्षण योजना को पुनः उनके साथ जो उनकी प्राकृतिक अवस्था में शुष्क हो गई है के नवीनीकरण के साथ जो मास्टर प्लान में शामिल किया जायेगा।
- (ख) इस क्षेत्र व इसके आस–पास किसी भी विकास की गतिविधिया का वर्जन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कड़े मार्ग दर्शक सिद्धांत होगे।
- मानीटरी समिति :
- (1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के अनुपालन को मानीटर करने के लिए समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है। मानीटरी समिति का अध्यक्ष, सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय समस्याओं की समझ रखने वाला जैव विविधता और वन्यजीव विशेषज्ञ होगा।
- (2) उप पैरा (1) मे निर्दिष्ट मानीटरी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात:-
- (क) पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि-सदस्य।
- (ख) शहरी विकास विभाग, गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि–सदस्य;
- (ग) प्राकृतिक संरक्षण (धरोहार संरक्षण सहित) क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे गुजरात राज्य वन विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है – सदस्य;
- (घ) क्षेत्रीय अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गांधीनगर-सदस्य;
- (ड़) गुजरात राज्य के किसी ख्याति प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से एक पर्यावरण विषेशज्ञ—सदस्य;
- (च) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, जामनगर-सदस्य
- (छ) वन उप–संरक्षक, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान व समुद्री अभयारण्य–सदस्य सचिव।
- (3) मानीटरी समिति की शक्तियाँ और कृत्य, केवल इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुपालन तक निर्बधित होंगे।
- (4) ऐसे कियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुज्ञा की आवश्यकता हो, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 तारीख 14.09.2006 के उपबंधों के अनुसार मानीटरी समिति, पर्यावरण और वन मंत्रालय को ऐसे मामले प्रेषित करेगें जो उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अनापत्ति मंजूर करेगें।
- (5) मानीटरी समिति मुद्दा—दर—मुद्दा आधार की आपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके विचार विमर्थ मे सहायता करने के लिए सम्बद्ध विभागों या संगमो से प्रतिनिधियों या विषेशज्ञों को भी आमंत्रित कर सकेगी ।

- (6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य–सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों का उलंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने लिए सक्षम होगा ।
- (7) मानीटरी समिति, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय—समय पर मानीटरी समिति द्वारा कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को अपना निर्देश देगा ।

[एफ. नं0 25/2/2012-ई एस जेड/आर ई]

डॉ. जी. वी. सुब्रहमन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपबंध—क

समुद्री राष्ट्रीय पार्क और अमयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का सीमा वर्णन

उत्तर:— अदातरा गाँव की तटीय सीमा, अदातरा गाँव की सीमा, पाण्डली गाँव की तटीय सीमा, हमूसर गाँव की तटीय सीमा, समलासर गाँव की तटीय सीमा, पोसितरा गाँव की तटीय सीमा, पोसितरा गाँव की सीमा और खतुम्बा गाँव की तटीय सीमा, खतुम्बा गाँव की सीमा, जाम नगर जिला के द्वारका तालुका के अनियरा गाँव की सीमा, टाटा नमक, पिनधारा गाँव की तटीय सीमा, मेवासा गाँव और वीरपुर गाँव की सीमा, वीरपुर गाँव की समुद्री तटीय सीमा, जिला जामनगर के कल्याणपुर तालुका का असोटा मोटा गाँव की तटीय सीमा, नाना अशोटा गाँव की तटीय सीमा, जकसिया गाँव की तटीय सीमा, बेह गाँव की तटीय सीमा, वचलबारा क्षेत्र की तटीय सीमा, कलावद सीमानी गाँव की तटीय सीमा, चुदेश्वर गाँव की तटीय सीमा, जिला जाम नगर के खामभलिया तालुका गोविंज गाँव की तटीय सीमा, गाँव खीरी की तरफ बलाचदी गाँव की सीमा, बलाचदी गाँव की तटीय सीमा, हदियाना गाँव की तटीय सीमा, जुन्नद गाँव की तटीय सीमा, जोदिया गाँव की तटीय सीमा, रंजीतपार गाँव की तटीय सीमा, जामसर गाँव की तटीय सीमा, जोदिया गाँव की तटीय सीमा, कोधरिया गाँव की तटीय सीमा, जामसर गाँव की तटीय सीमा, जोदिया गाँव की तटीय सीमा, कोधरिया गाँव की तटीय सीमा, जानरार क जोदिया तालुका के जराद्र सीमा, बेला और उन्तबेट सामपार गाँव की तटीय सीमा, जिला जामनगर के जोदिया तालुका के जिनजुदा गाँव की तटीय सीमा फदेसर गाँव की तरीय सीमा, जिला जामनगर के

पूर्वः— जिला राजकोट के मालिया तालुका के बोदकी गाँव की सीमा, जिला जामनगर खामभलिया गाँव की सीमा और गोइंज गाँव की सीमा ।

 गाँव के गुरगध गाँव की सीमा और जिला जामनगर के द्वारका तालुका का सर्वे सं0 241 पीटी, गुरगध गाँव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और गुरगध गाँव का सर्वे सं0 61 पीटी, 20, 404 पीटी, 70, 28/2, 27, 25, 511, 436, 477, 478, 442, 445, 449, 450, 456, 457, 470, 471, 472, 473, 478, 479, 521, 520, 427, 402, 528,421, 385, 533, 370, 364, 365, 366, पिन्धारा गाँव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर, सर्वे सं0 111, 112, 198, 90, 89, 82, 81, 80, 399, 420, 394, 71, 424, 68, 41, 40, 44, 422, 45, 46, 48, 49, 24, 336, 405, 339, 43, 4 / 1, 336 पीटी, 433, 371, 317, 316, पिन्धरा गॉव का रास्तो, मेवासा गॉव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और निवासी गॉव का सर्वे सं0 330 पीटी, 267, 266, 268/2, 270, 274, 424, वीरपूर गॉव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और वीरपूर गॉव का सर्वे सं0 118/2, 155, 119, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110 पीटी, 59, 183, 56, 53, मोटा अशोटा गॉव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और जिला जामनगर का कल्याणपुर तालुका के असोटा मोटा गॉव का सर्वे सं0 550, 215, 171, 172, 238 पीटी, 167, 168, 181, 128, 129, 125, 124, 123, 192, 194, 201, 202, 200, 285, 286, 521, 520, 75, 76, 71, 72, 69, 66, 55, 538, 45, 47, नाना अशोटा गॉव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और नाना अशोटा गॉव का सर्वे सं0 99, 101, 95, 92, 91, 128 पीटी, 66, 62/1, 68, 15, 16, 18, 22, 27, 27/2, 28, 50, 48, 47, जकसिया गॉव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और सर्वे सं0 101, 412, 406, 407, 74,77, 73, 409, 72, जकसिया गॉव की नदी, बेह गावॅ की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और सर्वे सं0 91, 89, 82, 81, 83, 73, 72, 67, 56, 58, 49, 50, 30, 27, 22, 20, 19, 18, 16, 15, 9, 456, 455, 439, 431, 428, बेह गॉव की नदी, वचलाबारा गॉव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और सर्वे नं0 859, 858, 857, 883, 844, 885, 804, 803, 810, 815, 814, 817, 822, 797, 739, 717, 711, 710, 712, 709, 572, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 581, 599, 598, 597, 596, 593, 530, 532, 534, 535, 536, 538, 539, 511, 508, 509, 519, 520, 516, 515, 527, 594, 603, 604, 616, 617, 619, 642, 680, 379, 367, 364, 348, 347, 345, 363, 263, 264, 259, वचलाबारा गॉव का ट्रैवर्स नम्बर, कलावद सीमानी गॉव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और कलावद सीमानी गॉव का सर्वे सं0 179 पीटी, 3, 7, 8, 161, 160, 158, 152, 149, 128, 132, 124, 125, 121, 91, 93, 182, चुदेश्वर गॉव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर और चुदेश्वर गॉव का सर्वे सं0 249, 251, 252, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 265, 266, 320, 325, 237, 129, 102, 72, 71, 70, 75, 76, 87, 86, गोइन्ज गॉव की तटीय दूरी से 1 किलोमीटर और सर्वे सं0 267, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 304, 303, 302, 301, 299, 225, 211, 212, 197, 196, 185, 123, 179, जिला जामनगर का खमभलिया के गोइन्ज रास्तो, खीरी गॉव की तरफ सचाना गॉव की सीमा, बलाचदी गाँव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर और बलाचदी गाँव का सर्वे सं0 8, 86,

99, 116, 76, 118, 5, 140, 139, 138, 19, 20, 21, 119, 24, 25, 59, 58, 56, हदियाना गॉव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और हदियाना गॉव का सर्वे सं0 629 पीटी, 628 पीटी, 653 पीटी, कुन्नद गॉव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और सर्वे सं0 315 पीटी, 326, 329, 330, 332, 333, 334, कुन्नद गॉव का रास्तो, जोदिया गॉव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और सर्वे सं0 411, 393, 391 पीटी, 390, 388, नदी, 339, 349, 325. 328. 310. 305, 302, 299 पीटी, 298 पीटी, जोदिया गॉव का, रंजीतपार गॉव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और रंजीतपार की सर्वे सं0 410 पीटी, जामसर गॉव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और जामसर गाँव का सर्वे सं0 119 पीटी, 121, 70, 71, 72, 74, 73, 94, 97, 98, 103, 102, मानामोरा गॉव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और मानामोरा गॉव का सर्वे सं0 299, 301, 302, 303, 304, 273, 274, 272, 271, 252, 367 पीटी, 242, 190, 368, 79, 63, 139, 62, 159, 158, 154, 156, 142, 141, 130 कोथारी गॉव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और कोथरी गॉव का सर्वे सं0 160, 146, 144, 133, 132, 117, 116, 119, 108, 107, 66, 67, 69, 74, रामापार पदाबेकर गॉव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और रामापार पदाबेकर का सर्वे सं0 306, 305, 310, 297, 312, 313, 316, 119, 120, 121, 130, 131, 136, 133, 134, 163, 172, 171, 170, 169, 179, 183, 185, 184, बेला गॉव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और बेला गॉव का सर्वे सं0 192, 191, 175, 157, 291, 312, 293, अन्तबेट समपार गॉव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और अन्तबेट समपार गॉव का सर्वे सं0 232 पीटी, 208, 175, 170, 151, 150, 146, 143, 140 फदसर गॉव की तटीय सीमा की दूरी से 1 किलोमीटर दूर और सर्वे सं0 401/1 पीटी, जिनजुदा गॉव की तटीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर और जिला जामनगर का जोदिया तालुका के जिनजुदा गाँव का सर्वे सं0129/1, 3, 83, 37, 9, 39, 30, 78, 75, 701 |

पश्चिमः— खीरी गाँव की तटीय सीमा और जिला जामनगर के जोदिया तालुका और बलाचादी, जिला जामनगर के द्वारका तालुका का अरमभादा और अदातरा के गाँव की सीमा । समुद्री राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में आने वाली नदियों का वर्णन

उत्तर:- जिनजुदा गॉव की तटीय सीमा और जिनजुदा नदी की अन्तबेट सामपर, रंजीतपार गॉव की तटीय सीमा, जामसर और मानामोरा की अजी नदी, जोदिया गॉव की तटीय सीमा और उन्द नदी का कुन्नद और कनकावती नदी के हदियाना गॉव की तटीय सीमा, जिला जामनगर जोदिया तालुका की नदी की सचाना खीरी गॉव की तटीय सीमा, जमबुदा नदी की जमबुदा गॉव की तटीय सीमा, धुनवाद नदी का धुनवाद गॉव के तटीय सीमा, नागना नदी के जूना नगना और नौनगना गॉव के तटीय सीमा, सरमत नदी के सरमत गॉव की तटीय सीमा, ससोई नदी के बेड गॉव की तटीय सीमा, खावदी नदी के नानी खावदी गॉव की तटीय सीमा, जिला जामनगर के जामनगर तालुका की गोगवा नदी गोगवा गॉव की तटीय सीमा, जगवद नदी की जगवद गॉव की तटीय सीमा, जिला जामनगर की लालपुर तालुका की झाखर नदी के गॉव झाखर की तटीय सीमा, गॉव भराना की भराना नदी की तटीय सीमा, मनधा नदी के गॉव मनधा की तटीय सीमा, सिनहन नदी की मोटा मनधा गॉव की तटीय सीमा, घी नदी के गॉव कोश्याविसोत्री की तटीय सीमा, गोइंज नदी की गोइनज गॉव की तटीय सीमा, बारा नदी की वचलाबर गॉव की तटीय सीमा, बेह नदी का बेह गॉव की तटीय सीमा, बारा नदी की वचलाबर गॉव की तटीय सीमा, बेह नदी का बेह गॉव की तटीय सीमा, बेह की तटीय सीमा, और जकसिया नदी की जकसिया गॉव की तटीय सीमा, जिला जामनगर के खनभलिया तालुका गॉव की नाना अशोटा नदी की तटीय सीमा, जिला जामनगर के कल्याणपुर तालुका की रानी नदी पंधारा गॉव की तटीय सीमा, जिला जामनगर की द्वारका तालुका सामलासर नदी सामलासर गॉव की तटीय सीमा 1

पूर्वः-- जिनजुदा नदी की फदसर और जिनजुदा गाँव की सीमा, अजीत नदी की मानोमोरा जमसर, गॉव की सीमा, उन्द नदी की जोदिया गॉव की सीमा, कनकावती नदी की हदियाना गाँव की सीमा, जिला जामनगर के जोदिया तालुका की सचाना नदी के जोदिया तालुका खीरी गाँव की सीमा, जम्बुदा नदी के जम्बुदा गाँव की सीमा, धुनवाव नदी के धुनवाव गाँव की सीमा, नवा नगना गॉव की सीमा और नगना नदी की विभापर, सरमत नदी के गोरधान पार्क और खारा बेराजा गाँव की सीमा, ससोई नदी की वसाई और सरमत गाँव की सीमा, खावदी नदी की खावदी गॉव की सीमा, जिला जामनगर के जामनगर तालुका की गोगवा नदी के गोगवा गॉव की सीमा, जोगवाद नदी की जोगवाद गाँव की सीमा, जिला जामनगर के लालपूर तालुका की झनखार नदी गाँव झनखार की सीमा, भराना नदी की भराना गाँव की सीमा, मंधार नदी की तिम्बादी और मोटा मंधा गाँव की तटीय सीमा, सिनहान नदी की नाना मंधा गाँव की सीमा, कोथाविसोतरी गाँव की सीमा, घी नदी की सोदासाला कबरविसोत्री की तटीय सीमा, गोइंज नदी के गोइन गॉव की सीमा, बारा नदी की वोचलबारा गॉव की सीमा, देह नदी की वोचलबारा गॉव की सीमा, जकासिया नदी की देह गाँव की सीमा, जिला जामनगर खमभलिया गाँव की नाना अशोता नदी की सीमा, असोटा मोटा नदी की नाना अशोटा गॉव की सीमा, जिला जामनगर के कल्याणपुर गाँव की नदी मेवासा के रानी नदी की सीमा, जिला द्वारका तालुका के सामलासर नदी के सामलासर गॉव और पोशित्रा की सीमा ।

दक्षिणः— जिनजुदा नदी की फदसर गाँव की सीमा, अजी नदी की मानामोरा, जामसर और रंजीतपार गाँव की सीमा, उन्द नदी की जोरिया गाँव की सीमा, कन्दावती नदी की हदियाना गाँव की सीमा, जिला जामनगर के जोदिया तालुका की सचाना नदी खीरी गाँव की सीमा, जमबुदा नदी की जमबुदा गाँव की सीमा, धुनवाव नदी धुनवाय गाँव की सीमा, नागना नदी की नागना और विभापार गाँव की सीमा, सरमत नदी के सरमत गाँव की सीमा, ससोई नदी के बेड गॉव की सीमा, खवादी नदी के खवादी गॉव की सीमा, गोगवा नदी के गोगवा गॉव की सीमा, जिला जामनगर की गोगवा नदी के जामनगर तालुका गॉव की सीमा, जोगवाद नदी की जोगवाद गॉव की सीमा, जिला जामनगर की झनखार नदी की लालपुर तालुका गॉव की सीमा, भराना नदी के भराना गॉव की सीमा, मंधा नदी के मंधा गॉव की सीमा, सिनहन नदी के मंधा गॉव की सीमा, खीरी नदी के खबरविसोत्री गॉव की सीमा, गोइंज नदी के गोइंज गॉव की सीमा, बारा नदी के वोचलाबारा गॉव की सीमा, बेह नदी की बेह गॉव की सीमा, जकासिया नदी के बेह गॉव की सीमा, जिला जामनगर की नाना अशोता नदी के खमभलिया गॉव की सीमा, असोटा मोटा नदी के असोटा मोटा गॉव की सीमा, जिला जामनगर की रानी नदी के कल्याणपुर तालुका और मेवासा और पिनडरा गॉव की सीमा, जिला जामनगर के द्वारका तालुका की समलासर नदी की समलासर गॉव की सीमा ।

पश्चिमः- जिनजुदा नदी की जिनजुदा और अन्टबिट सामपार गॉव की सीमा, मानामोरा गॉव की सीमा, अजी नदी की रंजीतपार और जामसर गॉव की सीमा, उन्द नदी की कुन्नद गॉव की सीमा, कनवती नदी की हदियाना गॉव की सीमा, जिला जामनगर की सचाना नदी की जोदिया तालुका के सचाना और खीरी गाँव की सीमा, जमबुदा नदी के जमबुदा गाँव की सीमा, धुनवाव नदी के धूनवाव गाँव की सीमा, नागना नदी के नागना गाँव की सीमा, सरमत नदी के सरमत गाँव की सीमा, ससोई नदी के बेड गाँव की सीमा, खवादी नदी के खवादी गाँव की सीमा, जिला जामनगर की गोगवा नदी के जामनगर तालुका गाँव गोगवा की सीमा, जोगवद नदी की जोगवद गाँव की सीमा, जिला जामनगर की झनखार नदी की लालपुर तालुका झनखार गाँव की सीमा, भराना नदी की भराना गाँव की सीमा, मनधा नदी की मनधा गाँव की सीमा, सिनहान नदी की मोटा मंधा गॉव की सीमा, घी नदी की कबरविसोत्री और खोता विसोत्री गॉव की सीमा. गोइन्ज नदी की गोइन्ज गाँव की सीमा, बारा नदी की वचलाबारा गाँव की सीमा, बेह नदी की बेह गॉव की सीमा, जकसिया नदी की जकसिया और बेह गॉव की सीमा. जिला जामनगर की नाना अशोटा नदी की खमभलिया नाना अशोटा गाँव की सीमा, असोटा मोटा नदी की असोटा मोटा गाँव की सीमा, जिला जामनगर की रानी नदी की कल्याणपुर तालुका के पिंधारा गाँव की सीमा, जिला जामनगर की समलासर नदी की द्वारका तालुका के समलासर गाँव की सीमा

समुद्र के समुद्री राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य की तरफ 200 मीटर के आस पास पर्यावरणीय पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की सीमा

उत्तर:— जनजरावादी की तरफ कच्छ की खाड़ी, अजद टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, अशोटा नी नार की तरफ कच्छ की खाड़ी, बबुधोरो की तरफ कच्छ की खाड़ी, बरानी नार की तरफ कच्छ की खाड़ी, बेराजनी नार की तरफ कच्छ की खाड़ी, भाद की तरफ कच्छ की खाड़ी, भैदार टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, भलोरी की तरफ कच्छ की खाड़ी, चंक टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, चुसदा की तरफ कच्छ की खाड़ी, बेट संखोदवर की तरफ कच्छ की खाड़ी, उत्तर-पश्चिम चंकचटान की तरफ कच्छ की खाड़ी, दिव्दी धबधबा की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल लिटिल बे सिक्का की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल निकट मीठापुर की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल निकट नरारा चटान की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल निकट ओखा की तरफ कच्छ की खाड़ी, चन्द्री चटान की कोरल की तरफ कच्छ की खाड़ी, कलूभर के पष्चिम की कोरल की तरफ कच्छ की खाड़ी, समुद्री क्षेत्र ओखा की तरफ कच्छ की खाड़ी, धानी टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, धोरानू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, मुण्डका टापू, दिदिका की तरफ कच्छ की खाड़ी, गदनियों कादो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, जिनदरा की तरफ कच्छ की खाड़ी, कादियारी की तरफ कच्छ की खाड़ी, कलावद नीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी, कलुभर टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, खरारा नीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी, लाफा मरोदी और मान मरोदी की तरफ कच्छ की खाड़ी, मोरजंगी की तरफ कच्छ की खाड़ी, मोशीदो की तरफ कच्छ की खाडी, मोटोखारो की तरफ कच्छ की खाड़ी, नागर नगर नार जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नरारा जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नविनार नू जंगल की तरफ कच्छ की खाडी, नोरु टाप की तरफ कच्छ की खाड़ी, ओखारी की तरफ कच्छ की खाड़ी, पागर चटान की तरफ कच्छ की खाड़ी, पनीरो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, पिरोटन टापू की तरफ कच्छ की खाडी, रायेबेट की तरफ कच्छ की खाड़ी, रवलपीर जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, रिबडी की तरफ कच्छ की खाडी, रोजी बेट की तरफ कच्छ की खाडी, रोजीनार जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, रोजीनार नो वल की तरफ कच्छ की खाड़ी, सिकोतरी तितर धोरो की तरफ कच्छ की खाड़ी, सुई नू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, अनटाडो की तरफ कच्छ की खाड़ी,

पूर्व:— जनजरावादी की तरफ समुद्री अभयारण्य, अजद टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, अशोटा नीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी, बाबूधोरा की तरफ कच्छ की खाड़ी, बरानी नार की तरफ समुद्री अभयारण्य, बेराजनी नार की तरफ समुद्री अभयारण्य, भाद की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, भैदर टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, भलोरी और कच्छ की खाड़ी की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, चंक टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, चुसदा की तरफ कच्छ की खाड़ी, बेट संखोदवर की तरफ कच्छ की खाड़ी, उत्तर—पश्चिमी चंक चटान कोरल क्षेत्र की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, दिवदी धबधबा की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल लिटिल बे सिक्का की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कोरल मीठापुर की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल निकट नरारा चटान की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कोरल निकट ओखा की तरफ कच्छ की खाड़ी, वार्म्डी चटान के कोरल की तरफ कच्छ की खाड़ी, कालूभर पश्चिम की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, समुद्री क्षेत्र ओखा की तरफ कच्छ की खाड़ी, धानी टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, धोरानू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, दिदिका

वदीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तरफ ओखारी की तरफ कच्छ की खाड़ी ।

और मुण्डेका टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, गदनियो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, जिनदरा टापू की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कादियारी की तरफ कच्छ की खाड़ी, कलावद नी नार की तरफ समुद्री अभयारण्य, कालूभर टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, खरारा नी नार की तरफ कच्छ की खाड़ी, लाफा मोरादी और मैन मोरादी की तरफ कच्छ की खाड़ी, मोरजंगी की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, मोशीदो की तरफ कच्छ की खाड़ी, मोटोखारो की तरफ कच्छ की खाड़ी, नवीनार नू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नरारा जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नवीनार नू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नरारा जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नवीनार नू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नोरु टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, ओखारी की तरफ कच्छ की खाड़ी, पागर समुद्री चटान की तरफ कच्छ की खाड़ी, पनीरो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, पिरोटन टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, राय बेट की तरफ कच्छ की खाड़ी, रावलपीर जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, रिबदी की तरफ कच्छ की खाड़ी, रोजीबेट की तरफ समुद्री अभयारण्य, रोजीनार जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, रोजीनार नो वल की तरफ समुद्री अभयारण्य, अनटाडो की तरफ कच्छ की खाड़ी, वादीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी, सुई नू जंगल की तरफ समुद्री अभयारण्य, अनटाडो की तरफ कच्छ की खाड़ी, वादीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी, ओखारी पश्चिम की तरफ कच्छ की खाड़ी ।

दक्षिणः— जनजरावदी की तरफ समुद्री अभयारण्य, अजद टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, अशोटा नी नार की तरफ समुद्री अभयारण्य, बाबू धोरो की तरफ समुद्री अभयारण्य, बरानी नार की तरफ समुद्री अभयारण्य, वीराजनी नार की तरफ समुद्री अभयारण्य, भाद की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, भयदर टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी और राष्ट्रीय पार्क, भलोरी की तरफ कच्छ की खाड़ी, चंक टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, चुसदा की तरफ कच्छ की खाड़ी, बेट संखोदवर की तरफ कच्छ की खाडी, उत्तर पश्चिम चंक चटान कोरल निकट क्षेत्र की तरफ कच्छ की खाड़ी, दिवदी धबधबा की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल लिटिल बे सिक्का की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कोरल निकट मीठापुर की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल निकट नरारा चटान की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कोरल निकट ओखा की तरफ कच्छ की खाड़ी, चन्द्री चटान के कोरल की तरफ कच्छ की खाड़ी, कालूभर कोरल पश्चिम की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, ओखा के समुद्री क्षेत्र की तरफ कच्छ की खाड़ी, धानी टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, धोरानू जंगल की तरफ समुद्री अभयारण्य, दिदिका, मुण्डका टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, गंधियों कादू टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, जिनदरा टापू की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कादियारी की तरफ समुद्री अभयारण्य, कलावद नी नार की तरफ समुद्री अभयारण्य, कालूभर टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, खरारा नी नार की तरफ कच्छ की खाड़ी, लाफा मोरादी और मैन मोरादी की तरफ कच्छ की खाड़ी, मोरजंगी की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, मोशिदो की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, मोटोखारो की तरफ कच्छ की खाड़ी और समुद्री अभयारण्य, नगरनार नू जंगल की तरफ समुद्री अभयारण्य, नरारा जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नवीनार नू जंगल की तरफ समुद्री अभयारण्य, नोरु टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, ओखारी की तरफ कच्छ की खाड़ी और समुद्री अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क, पागर चटान की तरफ कच्छ की खाड़ी, पनीरो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, पिरोटन टापू की तरफ समुद्री अभयारण्य और समुद्री राष्ट्रीय पार्क, रायबिट की तरफ अभयारण्य और समुद्री राष्ट्रीय पार्क, रावलपीर जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी और समुद्री अभयारण्य रिबडी की तरफ समुद्री अभयारण्य, रोजीबिट की तरफ समुद्री अभयारण्य, रोजीनार जंगल की तरफ समुद्री अभयारण्य, रोजीनार नो वल की तरफ समुद्री अभयारण्य, सिकातरी तितर धोरो की तरफ समुद्री अभयारण्य, सुई नू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी और समुद्री अभयारण्य, अनटाडो की तरफ समुद्री अभयारण्य, वादीनार की तरफ समुद्री अभयारण्य, ओखारी के पश्चिम की तरफ समुद्री अभयारण्य ।


पश्चिम:- जनजरावादी की तरफ कच्छ की खाड़ी, आजाद टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, अशोटा नीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी और समुद्री अभयारण्य, बाबू धोरो की तरफ कच्छ की खाड़ी, बरानी नार की तरफ कच्छ की खाड़ी, बेराजानी नार की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, भाद की तरफ कच्छ की खाड़ी, भैदर टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, भलोरी की तरफ कच्छ की खाड़ी, चंक टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, चुस्दा की तरफ कच्छ की खाड़ी, बेट संखोदवर की तरफ कच्छ की खाड़ी, उत्तर--पश्चिम चंक चटान की तरफ कच्छ की खाड़ी, दिवदी धबधबा की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल लिटिल बे सिक्का की तरफ अभयारण्य और समुद्री राष्ट्रीय पार्क, मीठापुर के करीब कोरल कच्छ की खाड़ी, नरारा चटान के निकट कोरल कच्छ की खाड़ी, कोरल निकट ओखा की तरफ कच्छ की खाड़ी, कोरल चन्द्री चटान की तरफ कच्छ की खाड़ी, पश्चिम कालूभर की तरफ कच्छ की खाड़ी, ओखा के तटीय तरफ समुद्री अभयारण्य, धानी टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, धोरानू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, दिदिका की तरफ कच्छ की खाड़ी, गांधियो कादो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, जिनदार टापू की तरफ अभयारण्य और समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कादियारी की तरफ कच्छ की खाड़ी, कलावद नीनार की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, कालूभर टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, खरारा नीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी, लाफा मोरादी और मैन मोरादी की तरफ कच्छ की खाड़ी, मोरजंगी की तरफ समुद्री अभयारण्य, मोशीदो की तरफ समुद्री राष्ट्रीय पार्क, मोटोखारो की तरफ कच्छ की खाड़ी, नागर नार नू जंगल की तरफ समुद्री अभयारण्य और कच्छ की खाड़ी, नरारा जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नवीनार नू जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, नोरो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, ओखारी की तरफ कच्छ की खाड़ी, पागर चटान की तरफ कच्छ की खाड़ी, पनीरो टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, पिरोटन टापू की तरफ कच्छ की खाड़ी, रायेबेट की तरफ कच्छ की खाड़ी, रावलपीर जंगल की तरफ कच्छ की खाड़ी, रिबदी की तरफ कच्छ की खाड़ी, रोजीबेट की तरफ समुद्री अभयारण्य, रोजी नार जंगल की तरफ समुद्री अभयारण्य, रोजीनार नो वल की तरफ समुद्री अभयारण्य, शिकोतारी टीटार घोरो की तरफ कच्छ की खाड़ी, सूई नू जंगल की

तरफ कच्छ की खाड़ी, अंटाडो की तरफ कच्छ की खाड़ी, वादीनार की तरफ कच्छ की खाड़ी, ओखारी के पश्चिम की तरफ समुद्री अभयारण्य ।

उपबंध--ख

समुद्री राष्ट्रीय पार्क और समुद्री अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का नक्शा

.



उपबंध—ग

समुद्री राष्ट्रीय पार्क और समुद्री अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के गावों की सूची

कम संख्या	गॉवों के नाम	तालुका का नाम	
1	तुपानी	द्वारका	
2	समलासर	द्वारका	
3	पोसित्रा	द्वारका	
4	पदली	द्वारका	
5	मुलवेल	द्वारका	
6	खटुम्बा	द्वारका	
7	हमूसर	द्वारका	
8	अरमभदा (सी टी)	द्वारका	
9	अनियरी	द्वारका	
10	अदातरा	द्वारका	
11	वीरपुर	कल्याणपुर	
12	पिन्डारा	कल्याणपुर	
13	मेवासा	कल्याणपुर	
14	गुरगध	कल्याणपुर	
15	असोटा मोटा	कल्याणपुर	
16	जकासिया	खमभलिया	
17	वचलाबारा	खमभलिया	
18	नाना अशोटा	खमभलिया	
19	कलावद सिमानी	खमभलिया	
20	गोइन्ज	खमभलिया	
21	चुदेश्वर	खमभलिया	
22	बेह	खमभलिया	
23	बेला	जोदिया	
24	कुनद	जोदिया	
25	कोठारिया	जोदिया	
26	खीरी	जोदिया	
27	जोदिया	जोदिया	
28	जमसर	जोदिया	

29	जिनजुदा	जोदिया
30	हदियाना	जोदिया
31	अन्टबेट-शामपर	जोदिया
32	फदसर	जोदिया
33	रंजीतपार	जोदिया
34	रामपार (पदाबेकद)	जोदिया
35	बलाचदी	जोदिया
36	मानामोरा	जोदिया
37	खिजादिया	जामनगर
38	जमबुदा	जामनगर
39	धुनवाव	जामनगर
40	संचाना	जामनगर
41	विभापर	जामनगर
42	गागा	कल्याणपुर
43	गुरगध	कल्याणपुर

[एफ. नं0 25/2/2012-ई एस जेड/आर ई]

डॉ. जी. वी. सुब्रहमन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

ļ